

जनपद जालौन की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण रिपोर्ट
सामु0स्वा0केन्द्र नदीगाँव जनपद जालौन की निरीक्षण आख्या

भ्रमण कर्ता अधिकारी का नाम	1.डा० प्रीति मदान, राज्य परामर्शदाता पब्लिक हैल्थ,एस०पी०एम०य०० लखनऊ। 2. श्रीमती अर्चना शुक्ला,प्रोग्राम असिस्टेण्ट, कम्प्यूट्रो एस०पी०एम०य०० लखनऊ।
भ्रमण का स्थान	सामु0स्वा0केन्द्र नदीगाँव जनपद जालौन।
भ्रमण की तिथि	11 / 05 / 2018
भ्रमण का उद्देश्य	एन०क्य०ए०एस० असिसमेन्ट एवं सर्पेटिव सुपरविजन विजिट।

दिनांक 11 / 05 / 2018 को सामु0स्वा0केन्द्र नदीगाँव जनपद जालौन में राज्य स्तरीय टीम द्वारा भ्रमण किया गया। राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम के भ्रमण दौरान टीम के साथ डा०अरुण कुमार जिला परामर्शदाता क्वालिटी एश्योरेन्स, डा० डी०के० भिटौरिया अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र नदीगाँव, श्री के०के० भार्गव डेन्टल टेक्नीशियन एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। भ्रमण के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

बेस्ट प्रैक्टिस—

- मिशन परिवार विकास के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नदीगाँव में 2–3 कण्डोम बॉक्सेज रखे हुए थे। जहाँ समुदाय के लोग आसानी से पहुँच कर स्वयं निःशुल्क कण्डोम प्राप्त कर सकते हैं।



- गैर संचारी रोग (एन०सी०डी०) कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य नागरिक की जीवन शैली एवं व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा सामान्य गैर संचारी रोगों पर नियन्त्रण एवं रोकथाम हेतु काउन्सलर द्वारा काउन्सलिंग की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 30 वर्ष से अधिक की आयु के रोगियों को चिकित्सकों द्वारा काउन्सलर के पास परामर्श हेतु सन्दर्भित किया जा रहा है।
- एन०पी०सी०डी०सी०एस० कार्यक्रम से सम्बन्धित आई०ई०सी० यथा—संतुलित आहार, मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप सम्बन्धी जानकारी डिस्प्ले की गयी थी। चिकित्सालय में प्रिण्ट किये हुए सी—बैक फार्म आशा को दिये जा रहे थे।
- गैर संचारी रोग (एन०सी०डी०) कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2015–18 तक काउन्सलिंग किये गये लाभार्थियों की संख्या का चार्ट प्रदर्शित था।
- चिकित्सालय परिसर में स्वास्थ्य कार्यक्रमों यथा—परिवार नियोजन, जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण आदि का ऑडियो लगातार चल रहा था।
- वेटिंग एरिया में टी०वी० लगी हुई थी जिस पर स्वास्थ्य सम्बन्धित योजनाओं का वीडियो चल रहा था।
- चिकित्सालय परिसर में बगीचे में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाये गये थे जिसकी देखभाल सी०एच०सी के स्टाफ द्वारा ही की जा रही है। अनुपयोगी वस्तुओं जैसे—पुराने टायर, गगरी आदि में पौधे लगाये गये थे। घास काटने की मशीन का उपयोग किया जा रहा है।



क्र०स०	अवलोकन बिन्दु	सुधार बिन्दु	उत्तरदायित्व एवं सुधार बिन्दु
इन्जेक्शन एवं ड्रैसिंग कक्ष			
1	इन्जेक्शन एवं ड्रैसिंग कक्ष में बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण नियमानुसार नहीं किया जा रहा है।	निर्देश दिया गया कि बायोमेडिकल वेस्ट नियम 2016 का पालन किया जाय।	चिकित्सा अधीक्षक
2	चिटिल फारसेप को स्टरलाइज नहीं किया जा रहा एवं इसको रखने हेतु प्रयुक्त स्टैण्ड को भी स्टरलाइज नहीं किया जा रहा है।	चिटिल फारसेप एवं स्टैण्ड को प्रतिदिन आटोक्लेब द्वारा स्टरलाइज किया जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
3	ड्रैसिंग हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले उपकरण, गौज, कॉटन आदि को बिना स्टरलाइज किये हुए प्रयोग में लाया जा रहा है।	उपकरणों एवं ड्रैसिंग मटेरियल को आटोक्लेब द्वारा स्टरलाइज कर इस्तेमाल में लाया जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
लेवर रूम			
1	प्रसव हेतु प्रयुक्त होने वाले इन्स्ट्रुमेण्ट्स को आटोक्लेब न करके सिर्फ बॉयल करके इस्तेमाल किया जा रहा है।	इन्स्ट्रुमेण्ट्स को आटोक्लेब द्वारा स्टरलाइज कर इस्तेमाल में लाया जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
2	आक्सीजन सिलेन्डर में लगे हुए मास्क खुले हुए पाये गये।	मास्क को बैग के अन्दर बन्द करके रखा जाय।	चिकित्सा अधीक्षक
3	प्रसव के दौरान बच्चों को लपेटने हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले टॉवल को आटोक्लेब नहीं किया जा रहा है।	आटोक्लेब किये हुए टॉवल इस्तेमाल में लाये जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
4	बायोमेडिकल वेस्ट सेप्रिगेशन हेतु इस्तेमाल होने वाले बकेट में बकेट के रंग के अनुसार पालीथीन नहीं लगी थी।	बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016 का पालन किया जाय।	चिकित्सा अधीक्षक
5	स्टाफ नर्स को ब्लडप्रेशर लेने का ज्ञान नहीं था।	स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग करायी जाय।	चिकित्सा अधीक्षक
6	मासिक रिपोर्ट में रिपोर्टिंग तिथि किसी माह में 21 से 20 तारीख एवं किसी में 20 से 21 थी।	रिपोर्टिंग तिथि माह की 21 से 20 तारीख रखी जाय।	चिकित्सा अधीक्षक

7	<p>प्रसव कक्ष से सटे हुए कक्ष में पॉलीथीन बैग में प्लासेन्टा एवं बायोमेडिकल वेस्ट डम्प पड़ा था।</p> 	<p>प्रसव के उपरान्त तत्काल प्लासेन्टा एवं बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण बायोमेडिकल वेस्ट स्टोरज कक्ष में कराया जाय।</p>	चिकित्सा अधीक्षक
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

ओ०पी०डी०

1	मरकरी सिपिल मैनेजमेन्ट प्रोटोकाल में कमानुसार विधिया अंकित नहीं थी।	कमानुसार सही तरीके से प्रोटोकाल तैयार कर लगाया जाय।	चिकित्सा अधीक्षक
2	एन०सी०डी०कक्ष में ब्लडप्रेशर चार्ट में उम्र के अनुसार ब्लडप्रेशर नहीं दर्शाया गया था।	उम्रबार ब्लडप्रेशर चार्ट तैयार कर लगाया जाय।	चिकित्सा अधीक्षक

वार्ड

1	वार्ड में रोशनी मानकानुसार नहीं थी।	बल्ब के स्थान पर एल०ई०डी० टयूबलाइट का उपयोग किया जाय।	चिकित्सा अधीक्षक
2	खिडकी में लगी हुए जाली टूटी हुई थी।	नयी जाली लगाने हेतु कहा गया।	चिकित्सा अधीक्षक

ओ०टी०

1	हाइड्रोलिक ओ०टी० टेबिल नहीं है।	हाइड्रोलिक ओ०टी० टेबिल की व्यवस्था जिले से वार्ता कर व्यवस्था करने को कहा।	चिकित्सा अधीक्षक
2	ए०सी० नहीं लगा है।	अधीक्षक द्वारा ए०सी० लगाने की बात कही गयी।	चिकित्सा अधीक्षक
3	ओ०टी० की जोनिंग नहीं है।	जोनिंग हेतु यथा सम्भव प्रयास किये जाने की बात कही क्योंकि यहाँ पर डिस्पोजल जोन के लिए अलग रास्ता नहीं है।	चिकित्सा अधीक्षक
4	हैण्डवाशिंग ऐरिया ओ०टी० से बाहर न होकर लगे हुए कक्ष में है।	अधीक्षक को ओ०टी०के बाहर लगे सिंक में एल्बो-टैप लगाने एवं प्रोटोकॉल लगाने हेतु कहा गया।	चिकित्सा अधीक्षक
5	नालियाँ खुली हुई पाई गयी।	ड्रैनेज हेतु पाइप लगाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक

	ड्यूटी पर उपस्थित स्टाफ नर्स को आटोकलेव करना नहीं आता था।	चिकित्सा अधीक्षक स्टाफ नर्स को इस हेतु प्रशिक्षित करें एवं स्टाफ नर्स द्वारा आटोकलेव कराया जाना सुनिश्चित करें।	
आई0ई0सी0			
1	एन0सी0डी0 सेल में उच्च रक्तचाप सम्बन्धी डिस्प्ले चार्ट उप्र के अनुसार नहीं किया गया था।	उच्च रक्तचाप के पोस्टर आयु वर्ग के अनुसार डिस्प्ले किये जाने के निर्देश दिये गये।	चिकित्सा अधीक्षक
2	<ul style="list-style-type: none"> मरक्युरी स्पिल मैनेजमण्ट पोस्टर अंग्रेजी में प्रिण्ट था। मरक्युरी स्पिल मैनेजमण्ट पोस्टर में प्रदर्शित गाइड लाइन में कमी पायी गयी। 	<ul style="list-style-type: none"> पोस्टर को हिन्दी में प्रिण्ट कराया जाए। पोस्टर में गाइडलाइन के अनुसार सुधार किया जाए। 	जिला क्वालिटी परामर्शदाता एवं चिकित्सा अधीक्षक
कोल्ड चेन			
1	<ul style="list-style-type: none"> कोल्ड चेन कक्ष में डीप फीजर के तापमान का चार्ट नियमित रूप से अंकित नहीं किया जा रहा था। वैक्सीन वितरण रजिस्टर में माह अप्रैल 2018 से वैक्सीन वितरण का रिकार्ड अंकित नहीं किया जा रहा था। 	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि कोल्ड चेन में तैनात स्टाफ सेवा—निवृत्त हो चुका है जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। सुझाव दिया गया कि तत्काल में वैकल्पिक व्यवस्था करायी जाए एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क कर किसी अन्य की नियुक्ति करायी जाए। 	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अन्य बिन्दु			
1	सी0एच0सी0 परिसर में नालियां खुली हुई हैं।	नालियों को ढकने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक

	<p>सी0एच0सी0 के परिसर में निर्मित जल-निगम की पानी की टंकी जर्जर अवस्था में है जो कभी भी गिर सकती है। चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि पानी की टंकी अभी तक जल-निगम द्वारा हैण्ड-ओवर नहीं की गयी है।</p> 	<p>सुझाव दिया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी के संज्ञान में यह प्रकरण लाया जाय व उनके स्तर से समस्या का निराकरण किया जाय।</p>	चिकित्सा अधीक्षक
2	बायोमेडिकल स्टोरेज कक्ष में गत्ते आदि रखे हुए पाये गये।	गत्ते हटाने हेतु अधीक्षक से कहा गया एवं इस कक्ष को सिर्फ बायोमेडिकल बेस्ट भंडारण हेतु प्रयुक्त किया जाय।	चिकित्सा अधीक्षक
3	<ul style="list-style-type: none"> बायोमेडिकल स्टोरेज कक्ष में हाथ धोने हेतु सिंक की उपलब्धता नहीं है। बायोमेडिकल स्टोरेज कक्ष के नल से गार्डन में पानी दिये जा रहा था। 	<ul style="list-style-type: none"> सिंक लगाने के निर्देश दिये गये। गार्डन में पानी दिये जाने हेतु पृथक से नल लगाये जाने का सुझाव दिया गया। 	चिकित्सा अधीक्षक

जिला महिला चिकित्सालय, झाँसी एवं जिला पुरुष चिकित्सालय, झाँसी की भ्रमण आख्या

भ्रमणकर्ता अधिकारी का नाम	1. डॉ. प्रीति मदान, परामर्शदाता, पब्लिक हेल्थ, एस.पी.एम.यू., लखनऊ। 2. अर्चना शुक्ला, प्रोग्राम असिस्टेण्ट, कम्युनिटी प्रोसेस, एस.पी.एम.यू., लखनऊ।
भ्रमण का स्थान	जिला महिला चिकित्सालय, झाँसी एवं जिला पुरुष चिकित्सालय, झाँसी।
भ्रमण की तिथि	10.05.2018
भ्रमण का उद्देश्य	सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से।

अधिकारी के नाम (जिससे मिलें)	डॉ. पी.के.खत्री, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. विमलेश मिश्रा, पैथालॉजिस्ट, डॉ. वसुधा अग्रवाल, वरिष्ठ परामर्शदाता, डॉ. रजनी जयसूर्या, वरिष्ठ परामर्शदाता, डॉ. गौरव सक्सेना, हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर, डॉ. मनीष खरे, जनपदीय सलाहकार, क्यूए., श्री डी.के. गुप्ता, चीफ फर्मासिस्ट, श्रीमती करुणा सचान, फर्मासिस्ट एवं अन्य स्टॉफ।
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-:जिला महिला चिकित्सालय, झाँसी:-

डा० प्रीति मदान परामर्शदाता, पब्लिक हेल्थ द्वारा जिला महिला चिकित्सालय के चिकित्सक, स्टाफ नर्स, पैथालॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, ए०एन०एम०, क्लीनिंग स्टाफ आदि का एन०क्यू०ए० हेतु एक बैठक की गयी। बैठक की शुरुआत एक एक्टिविटी/एक्सरसाइज से की गयी। एक्टिविटी/एक्सरसाइज का उद्देश्य एन०क्यू०ए० के प्रति स्टाफ के उत्तरदायित्वों को निर्धारित करना था। जिसमें उपस्थित सभी स्टाफ ने रुचि प्रदर्शित करते हुए प्रतिभाग किया। इसी के साथ एन०क्यू०ए० स्टैण्डर्ड्स का ओरिएन्टेशन किया गया।

अवलोकन के बिन्दु	सुधार बिन्दु	उत्तरदायित्व एवं समयसीमा
प्रसव कक्ष :- <ul style="list-style-type: none"> न्यू बोर्न केयर कार्नर प्रसव कक्ष के बाहर स्थापित है। न्यू बोर्न केयर कार्नर में ए०सी० की व्यवस्था नहीं थी जिससे वहाँ का तापमान बहुत ज्यादा था। प्रसव कक्ष के स्टोर रूम में निष्प्रयोज्य सामान डम्प पड़ा हुआ था। 	राज्य सलाहकार द्वारा सुझाव दिया गया कि— <ul style="list-style-type: none"> न्यू बोर्न केयर कार्नर को प्रसव कक्ष के अन्दर ही स्थापित किया जाए। अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में स्थापित न्यू बोर्न केयर कार्नर में ए.सी. की व्यवस्था की जाये। 	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

एस.एन.सी.यू :-	<ul style="list-style-type: none"> एस.एन.सी.यू. का भ्रमण किया गया जिसमें इनबोर्न में 08 नवजात शिशु एवं आउटबोर्न में 02 नवजात शिशु भर्ती थे। एस.एन.सी.यू. में कैथेटर एवं नेजल केनुला का रीयूज किया जा रहा था। एस.एन.सी.यू. में लगे हुये कुछ अग्निशमन यंत्र एक्सपायर थे साथ ही निरीक्षण की चैकलिस्ट नहीं लगी हुयी थी। उक्त कार्य को पूर्ण कराने के लिए राज्य सलाहकार द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से 	<ul style="list-style-type: none"> निर्देश दिये गये कि उपयोग किये गये कैथेटर एवं नेजल केनुला को तुरन्त डिस्कार्ड करना है। नये रोगी हेतु नया कैथेटर एवं नेजल केनुला प्रयोग किया जाए।
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कहा गया।



- एस.एन.सी.यू तथा के०एम०सी० वार्ड के अन्दर उपकरणों पर एवं सभी जगह धूल जमी हुई पायी गयी।



- एक्सपायर्ड अनिश्चित यन्त्रों को रिफिल कराया जाय एवं चेकलिस्ट के प्रयोग द्वारा चिकित्सालय के सभी अनिश्चित यन्त्रों की एक्सपायरी प्रत्येक 15 दिन में चेक की जाय।
- एस.एन.सी.यू तथा के०एम०सी० वार्ड प्रतिदिन स्वच्छ करने के निर्देश दिये गये।

(हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर)

इमरजेंसी विभाग :- इमरजेंसी विभाग के सायनेजस सही जगह नहीं लगे हुये थे।

इमर्जेंसी दिशा संकेत को चिकित्सालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर एवं आकस्मिक विभाग के द्वार पर लगवाने के लिए हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर को कहा गया।

(हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर)

चिकित्सालय परिसर :-

- चिकित्सालय परिसर में नालियाँ खुली हुयी थी।
- चिकित्सालय परिसर में जगह-जगह पर बिजली के खुले हुए तार पाये गये।
- जनरेटर कक्ष के अन्दर सफाई का अभाव देखा गया।

नालियों को ढकने, बिजली के तारों को सुरक्षित तरीके से लगाने एवं जनरेटर कक्ष को व्यवस्थित कराने के लिए हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर को कहा गया।

(हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर)

आई.ई.सी. :- चिकित्सालय के सभी विभागों में आई.ई.सी. निर्धारित कलर कोडिंग के अनुसार नहीं लगाई हुई थी।

निर्देश दिया गया कि आई.ई.सी. निर्धारित कलर

(हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर)

	कोडिंग के अनुसार लगायी जाए।	
बी.एच.टी. :-	<ul style="list-style-type: none"> प्रसव कक्ष के पास डॉक्टर ड्यूटी कक्ष में बी.एच.टी. देखी गयी जिसमें सभी कॉलम नहीं भरे जा रहे थे। चिकित्सालय में उपलब्ध बी.एच.टी. में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के साथ रोगियों को दिये जाने वाले निर्देश बी0एच0टी0 के कवर पेज के पीछे प्रिण्ट थे। जिससे वह निर्देश रोगी को दिया जाना सम्भव नहीं था। 	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
अन्य :-	<ul style="list-style-type: none"> आई0पी0डी0 एवं ओ0पी0डी0 के सभी प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर का नाम अंकित नहीं किया जा रहा है। चिकित्सालय के कॉरीडोर, रूम, फर्श, गैलरी, के कोर्नर में सफाई संतोषजनक नहीं पायी गयी। टूटे हुए एम्पल के शीशे लाल बिन में फेंके हुए थे जबकि उन्हें पंक्वर प्रूफ कन्टेनर में फेंका जाना था। 	चिकित्सालय के सभी चिकित्सकों की मुहर बनवाने को कहा गया। जिससे कि ओ.पी.डी. स्लिप एवं बी.एच.टी.में लगाया जा सके।

-जिला पुरुष चिकित्सालय, झाँसी:-

अवलोकन के बिन्दु	सुधार बिन्दु	उत्तरदायित्व एवं समयसीमा
<p>आपातकालीन वार्ड :— आपातकालीन वार्ड में भ्रमण किया गया, भ्रमण के दौरान श्रीमती साधना एवं श्रीमती शकुन्तला गुप्ता, स्टॉफ नर्स उपस्थित थी।</p> <ul style="list-style-type: none"> भ्रमण के दौरान पाया गया कि मरीजों को लगे हुए आई.वी. सेट को निकालने के बाद पुनः इस्तेमाल में लाया जा रहा था। 	<p>निर्देश दिया गया कि—</p> <ul style="list-style-type: none"> मरीजों को लगे हुए आई.वी. सेट को निकालने के बाद तुरन्त काटकर लाल बिन में डाल दिये जाए। दुबारा नये आई0वी10 सेट का प्रयोग किया जाए। स्टाफ नर्स को वार्ड के रख—रखाव, साफ—सफाई, व्यवस्था आदि बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया। 	<p>मुख्य चिकित्सा अधीक्षक</p>
<ul style="list-style-type: none"> रोगी के बिस्तर के पास एक दिन पूर्व के बचे हुए खाने की थाली पायी गयी। 		

<p>खुले हुए तार पाये गये।</p>  <ul style="list-style-type: none"> वार्ड में सफाई का अभाव पाया गया। जगह-जगह पर जाले लगे हुए थे। 		
<p>बायोमेडिकल वेस्ट नियम 2016 :—</p> <ul style="list-style-type: none"> चिकित्सालय में बायोमेडिकल वेस्ट के उचित प्रबंधन, पृथकीकरण, संग्रहण एवं निस्तारण मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा था। जनरल बिन में इन्फेक्टेड प्लास्टिक फैंकी जा रही थी। 	<p>बायोमेडिकल वेस्ट नियम 2016 के अनुसार उचित प्रबंधन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।</p>	<p>(हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर)</p>
<p>चिकित्सालय परिसर:—चिकित्सालय परिसर में गन्दगी व्याप्त थी एवं नालियाँ खुली हुयी थी।</p>	<p>चिकित्सालय परिसर को स्वच्छ रखने तथा नालियों को ढकने हेतु निर्देशित किया गया।</p>	<p>(हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर)</p>

मण्डलीय बैठक

अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, झाँसी मण्डल के सभागार में अपर निदेशक महोदया की अध्यक्षता में दिनांक—10.05.2018 को आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया गया। सर्वप्रथम राज्य स्तरीय टीम द्वारा अपना परिचय देते हुए बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को सपोर्टिव सुपरविज़न के उद्देश्यों से अवगत कराया गया। साथ ही यह बताया गया कि जनपद झाँसी एवं जालौन की सभी चिकित्सा इकाइयों का टीम वर्क के माध्यम से सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। बैठक में जनपद जालौन में रामपुरा के ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सत्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरुआ सागर—जनपद झाँसी के अवलोकित बिन्दुओं से अवगत कराया गया। जिस पर मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद जालौन एवं झाँसी द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।

आशा प्रशिक्षण

जनपद झाँसी के आर0एच0एफ0डब्लूटी0सी0 में मॉड्यूल 6-7 का 7 दिवसीय आवासीय टी0ओ0टी0 चल रही थी। आवासीय प्रशिक्षण की गुणवत्ता देखने के उद्देश्य से आर0एच0एफ0डब्लूटी0सी0 प्रशिक्षण केन्द्र का भ्रमण किया गया। प्रशिक्षण के अवलोकन बिन्दु निम्नलिखित हैं—

- प्रशिक्षण में निर्धारित दिशा—निर्देश के अनुसार 4 प्रशिक्षक उपस्थित थे।
- सभी प्रशिक्षक प्रशिक्षित थे।
- प्रशिक्षण में 31 प्रतिभागियों के सापेक्ष 28 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है।
- प्रतिभागियों में एच0ई0ओ0, मेडिकल आफिसर एवं एन0जी0ओ0 थे।
- प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व प्रतिभागियों का प्री—टेस्ट लिया गया था।
- प्रशिक्षण कक्षा में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी0ओ0टी0) निर्धारित एजेण्डे के अनुसार समय से चल रहा था।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल वितरित किया गया था।
- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक जैसे—चार्ट पेपर, बोर्ड, मार्कर, डस्टर आदि उपलब्ध था।
- कौशल प्रशिक्षण दिये जाने हेतु एच0बी0एन0सी0 किट उपलब्ध थी।
- प्रतिभागियों हेतु जल—पान, भोजन, निवास आदि की व्यवस्था संतोषजनक थी।

प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बरुआसागर—जनपद झाँसी की भ्रमण आख्या

भ्रमण कर्ता अधिकारी का नाम	1. डॉ0 प्रीती मदान, राज्य परामर्शदाता, पब्लिक हैल्थ एस0पी0एम0यू0 लखनऊ। 2. अर्चना शुक्ला, प्रोग्राम असिस्टेण्ट, कम्युनिटी प्रोसेस एस0पी0एम0यू0 लखनऊ।
भ्रमण का स्थान	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरुआसागर
भ्रमण की तिथि	10 मई 2018 समय पूर्वान्ह 09:30 बजे से।
भ्रमण का उद्देश्य	सपोर्टिव सुपरविजन विजिट।

अवलोकन बिन्दु	सुधार बिन्दु	उत्तरदायित्व
चिकित्सा अधिकारी द्वारा बरुआ सागर में गठित वरिष्ठ नागरिक मंच में नियमित रूप से कैम्प लगाकर वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है।	चिकित्सा अधिकारी को सुझाव दिया गया कि इस स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प का अभिलेखीकरण नियमित रूप से अवश्य करें।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
पी0एच0सी0 में ए0एन0सी0 टेस्ट, रूटीन यूरीन, ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर, वी0डी0आर0एल0, आर0टी0आई0/ एस0टी0आई0, एच0आई0 वी0 टेस्टिंग, हेपेटाइटिस बी, ऑस्ट्रेलिया एण्टीजेन एवं प्लेटलेट	मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस सम्बन्ध में बात करके लैब असिस्टेण्ट की	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

<p>काउन्ट की सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही है। चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि लैब असिस्टेण्ट सुश्री शालिनी खरे की पोस्टिंग अरबन पी0एच0सी0 पर की गयी है। टेस्ट हेतु आवश्यक लैब मैटेरियल भी उपलब्ध नहीं है।</p>	<p>नियुक्ति करायी जाए एवं आवश्यक लैब मैटेरियल उपलब्ध कराया जाए।</p>	
<p>पी0एच0सी0 के परिसर में कहीं भी आग बुझाने हेतु अग्नि शमन यन्त्र नहीं लगाये गये थे इस पर राज्य परामर्शदाता द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी।</p>	<p>जिला परामर्शदाता द्वारा अवगत कराया गया कि इस वित्तीय वर्ष में पी0आई0पी0 द्वारा बजट मांग की गयी है बजट प्राप्ति के पश्चात् उपकरण लगा दिये जायेंगे।</p>	<p>प्रभारी चिकित्सा अधिकारी</p>
<p>पी0एच0सी0 के परिसर में राष्ट्रीय कार्यक्रम सम्बन्धित आई0ई0सी0 की कमी के कारण चिकित्सालय का एन0क्यू0ए0 स्कोर कम हो रहा है।</p>	<p>इस सम्बन्ध में राज्य परामर्शदाता द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों सम्बन्धित आई0ई0सी0 को एकत्रित कर लगावाने हेतु निर्देशित किया गया।</p>	<p>प्रभारी चिकित्सा अधिकारी</p>
<p>पी0एच0सी0 में वरिष्ठजनों हेतु निर्धारित दिवस की सेवायें नहीं दी जा रहीं थीं इस पर डॉ० सतीष द्वारा बताया गया कि कैम्प के माध्यम से उक्त सेवायें प्रदान की जा रहीं हैं।</p>	<p>इस पर राज्य परामर्शदाता द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त सेवायें यहीं से प्रदान की जायें एवं उनका रिकार्ड भी चिकित्सालय में रखा जायें।</p>	<p>प्रभारी चिकित्सा अधिकारी</p>
<p>पी0एच0सी0 में डिस्पैच रजिस्टर उपलब्ध नहीं था।</p>	<p>राज्य परामर्शदाता द्वारा डिस्पैच रजिस्टर बनाने हेतु निर्देशित किया गया।</p>	<p>प्रभारी चिकित्सा अधिकारी</p>
<p>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरुआसागर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में आर0बी0एस0के0 की टीम द्वारा किये गये कार्य की रिपोर्ट की एक फोटो प्रति चिकित्सालय में भी उपलब्ध करायी जाये। राज्य परामर्शदाता द्वारा स्टॉक रजिस्टर की जाँच की गयी तथा रजिस्टर को अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।</p>		<p>प्रभारी चिकित्सा अधिकारी</p>
<p>बॉयोमेडिकल वेस्ट के बकेट में पॉलीथिन नहीं लगाई गयी थी।</p>	<p>परामर्शदाता द्वारा पॉलीथिन लगावाने हेतु निर्देशित किया गया।</p>	<p>प्रभारी चिकित्सा अधिकारी</p>
<p>राज्य परामर्शदाता द्वारा स्टॉक रजिस्टर की जाँच की गयी।</p>	<p>रजिस्टर को अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।</p>	<p>प्रभारी चिकित्सा अधिकारी</p>
<p>चिकित्सालय में कई स्थानों पर यथा किचिन, मेडिसिन स्टोर, वार्ड आदि में धूल पायी गयी।</p>	<p>टीम द्वारा नियमित रूप से सफाई करवाने के निर्देश दिये गये।</p>	<p>प्रभारी चिकित्सा अधिकारी</p>
<p>पी0एच0सी0 पर बनाई गयी मलेरिया की स्लाइड का रजिस्टर नहीं बनाया गया था।</p>	<p>इस सम्बन्ध में टीम द्वारा अन्य सभी जाँचों का भी</p>	<p>प्रभारी चिकित्सा अधिकारी</p>

	रजिस्टर में अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया।	
जनपदीय परामर्शदाता द्वारा टीम को अवगत कराया गया कि बायोमेडीकल वेस्ट का प्रबंधन उचित रूप से नहीं होने का कारण अनुबंधित फर्म द्वारा न ही पॉलीथिन उपलब्ध करायी जाती हैं न ही वाहन समय से आता है एवं फर्म द्वारा पंक्चर प्रूफ डिब्बे उपलब्ध भी नहीं कराये जा रहे हैं।	निर्देशित किया गया कि इस गतिविधि हेतु सम्बन्धित सी0एच0सी0 के चिकित्सा अधीक्षक से सम्पर्क कर बायोमेडीकल वेस्ट मद में उपलब्ध धनराशि से कन्ज्यूमेबिल्स प्राप्त किये जाए।	जनपदीय परामर्शदाता
हाथ धोने के छः चरणों के पोस्टर कम संख्या में है जिन्हें प्रिंट करना आवश्यक है।	हाथ धोने के छः चरणों के पोस्टर प्रिंट कराकर शेष स्थानों पर डिस्प्ले कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	जनपदीय परामर्शदाता
पी0एच0सी0 में हर्बल गार्डन में पौधों के नाम प्रदर्शित नहीं थे।	प्रारूप उपलब्ध कराते हुये पौधों के नाम की प्लेट बनवाने हेतु कहा गया।	जनपदीय परामर्शदाता
पी0एच0सी0 में लिकिवड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु लगाया गया सिस्टम कार्य नहीं कर रहा था।	इस सम्बन्ध में सुधार हेतु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को जानकारी दी गयी।	जनपदीय परामर्शदाता
पी0एच0सी0 शिकायत निवारण रजिस्टर अभी तक नहीं बनाया गया।	शिकायत निवारण रजिस्टर बनाये जाने तथा शिकायत दर्ज किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।	जनपदीय परामर्शदाता
पी0एच0सी0 परिसर के अन्दर उपकेन्द्र बन्द था।	ए0एन0एम0 की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए उप केन्द्र को क्रियाशील कराये जाने के निर्देश दिये गये।	

भ्रमणकर्ता अधिकारी का नाम	3. डॉ. प्रीति मदान, राज्य सलाहकार, पब्लिक हेल्थ, एस.पी.एम.यू., लखनऊ। 4. अर्चना शुक्ला, प्रोग्राम असिस्टेण्ट, कम्युनिटी प्रोसेस, एस.पी.एम.यू., लखनऊ।
भ्रमण का स्थान	रामपुरा विकास खण्ड—रामपुरा।
भ्रमण की तिथि	09.05.2018
भ्रमण का उद्देश्य	सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से।

अधिकारी / कर्मचारी के नाम (जिससे मिलें)

श्री वीरेन्द्र सिंह (स्वास्थ्य पर्यवेक्षक), श्रीमती उर्मिला (ए0एन0एम0) श्रीमती ज्ञानमती (आशा—ग्राम रामपुर), श्रीमती किशोरी (आशा ग्राम—काशीराम)।

बेस्ट प्रैक्टिस—

- उच्च जोखिम गर्भावस्था के पहचान बिन्दु पूछे जाने पर ए0एन0एम0 द्वारा सही उत्तर दिये गये, ए0एन0एम0 द्वारा एच0आर0पी0 महिलाओं को चिन्हित किये जाने हेतु लाल बिन्दी का प्रयोग किया जा रहा था।
- आशा द्वारा लाभार्थियों का नियमित रूप से फॉलो-अप किया जा रहा था।

- ए०एन०एम० द्वारा लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने हेतु अपने पैसे से वजन लेने की मशीन क्रय की गयी थी जिसे बाद में आर०के०एस० के बजट से समायोजित किया गया था।
- आशा द्वारा नवजात शिशु का वजन लेने हेतु स्लिंग का उपयोग किया जा रहा था।
- आशा द्वारा परिवार नियोजन हेतु महिलाओं की काउन्सलिंग की जा रही थी।
- डा० सत्यप्रकाश (ए०सी०एम०ओ०,आर०आई०) द्वारा रामपुर गाँव को गोद लिया गया है जिसमें उनके द्वारा कुपोषित बच्चों के पोषण के लिए नियमित रूप से चना एवं गुड़ की व्यवस्था करायी जा रही है।

अवलोकन बिन्दु	सुधार बिन्दु	उत्तरदायित्व
<ul style="list-style-type: none"> • सत्र पर ओ०आर०एस०, जिंक, आई०एफ०ए० सिरप, यूरिस्टिक्स, उपलब्ध नहीं था। आशा को ३ प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट वर्ष में १ बार प्राप्त हुई। • सत्र पर आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका उपस्थिति नहीं थी। • आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा SAM बच्चों को पोषाहार वितरित नहीं किया जा रहा है। • बच्चों का वजन किये जाने हेतु डिजिटल वेइंग मशीन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। • गर्भवती महिलाओं की जाँच हेतु निजता की कोई व्यवस्था नहीं थी। • लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जानेवाली सेवाएं जैसे— इमर्जेन्सी पिल्स, प्रेग्नेन्सी किट, कण्डोम, स्लिंग मशीन सत्र पर न रखकर आशा के घर पर रखी हुई थी। लाभार्थियों को सामान उपलब्ध कराने हेतु आशा बार-बार घर जाकर सामान ला रही थी जिसमें लगभग आधे घण्टे का समय लग 	<ul style="list-style-type: none"> • स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं ए०एन०एम० द्वारा अवगत कराया गया कि आवश्यकता के अनुरूप आपूर्ति नहीं मिल रही है। • आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। • SAM बच्चों को नियमित रूप से पोषाहार वितरित करने के निर्देश दिये गये। • बच्चों का वजन किये जाने हेतु डिजिटल वेइंग मशीन का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। • निर्देशित किया गया कि निजता की व्यवस्था 	<p>मुख्य चिकित्साधिकारी</p>

रहा था।

सुनिश्चित की जाए।

- ए०एन०एम० एवं आशा को निर्देशित किया गया कि लाभार्थियों को दी जाने वाली समस्त सेवाएं घर पर न रखकर सत्र पर ही रखी जाए।



*Duchovic
guru*

श्रीमती अर्चना शुक्ला
प्रोग्राम असिस्टेण्ट कम्प्यूटरो
एन०एच०एम०, एस०पी०एम०य००लखनऊ

डा०प्रीति मदान
राज्य परामर्शदाता पब्लिक हैल्थ
एन०एच०एम०, एस०पी०एम०य००लखनऊ